न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चन्द जैन आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 16/2018 ::

अपीलाण्ट :– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

हरीराम पुत्र बंशीलाल, जाति मेघवाल, निवासी 87, मेघवालो का बास मण्डली, तहसील पाली, जिला पाली

1. धनकी पत्नी जेठाराम
2. रूपा पुत्र जोरा, जातिगण मेघवाल निवासीगण हेमावास, तहसील पाली
3. अशोक पुत्र राजाराम
4. भंवरीदेवी पत्नी राजाराम
5. चुन्नीलाल पुत्र नारायण
6. चेनी पत्नी बंशीलाल
7. उमा पुत्री बंशीलाल
8. कुसुम पुत्री बंशीलाल (रेस्पोडेण्ट संख्या 07 व 08 नाबालिग जरिये कुदरती वलीयां माता चेनीदेवी पत्नी बंशीलाल), जाति मेघवाल(भांबी), निवासीगण मण्डली खुर्द तहसील पाली, जिला पाली
9. हीरसिंह पुत्र मूलसिंह
10. सुरेन्द्रसिंह पुत्र मूलसिंह
11. अन्तरकवंर बेवा मूलसिंह, जातिगण राजपूत निवासी मण्डली खुर्द तहसील पाली, जिला पाली
12. तहसीलदार (भूमिधारी)पाली, तहसील पाली, जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव
रेस्पोडेण्टगण की ओर से कोई उपस्थित नही

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 11.02.2020

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1320 दिनांक 13.07.2009 जो नायब तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है अपील अपीलाण्ट सबजेक्ट टु लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर मूल नामान्तरकरण तह, पाली से तलब किया जाकर बहन सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट के पिता स्व बंशीलाल का देहान्त दिनांक 30.11.2007 को होने के पश्चात उनक नाम दर्ज खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 657 रकबा 39 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 388 रकबा 12.15 बीघा ग्राम मण्डली खुर्द पटवारी हल्का मण्डली खुर्द तहसील पाली का नामान्तरकरण संख्या 1320 भरा जाकर दिनांक 13.07.2009 को नायब तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया

जिला कलेक्टर, पाली

जो स्वं बशीलाल के वारिसान की जाचं किए बिना उनको नोटिस दिए बिना, तथा बिना सुनवाई किए ही भरकर स्वीकृत कर दिया जिससे अपीलाण्ट का नाम हरीराम के स्थान पर मन मर्जी से हरीश अंकित कर दिया जो विधी विरूद्व बिना आाधार के दर्ज कर दिये जाने से नामान्तरकरण निरस्त योग्य है अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनो की ताईद में अपीलाण्ट के नाम का आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स पैन कार्ड, स्कूल के प्रगति पत्र की फोटो प्रति एंव अपनी माता चैना देवी के साथ ही अन्य सदस्यों के साथ बने राशन कार्ड की फोटो प्रति भी पेश की जिसमें अपीलाण्ट का नाम बतौर स्व. बंशीलाल के पुत्र के रूप में हरीराम दर्ज होना स्पष्ट है लेकिन प0ह0 द्वारा अपनी मन मर्जी से बिना नोटिस बिना सुने ही नामान्तरकरण के पृष्ट भाग पर सजरा बनाकर अपीलाण्ट का नाम हरिराम के स्थान पर हरीश अंकित कर दिया जो कतई सही नही होने से नामान्तरकरण खारिज योग्य होने से निरस्त कराकर सही नाम अंकित कराने के आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है साथ ही निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा नकले लेकर बैंक में जाने पर दिनांक 15.02.2018 को उन्होने कहा का कि उसका नाम राजस्व रेकर्ड में हरीराम नही है हरीश है तो उसे प्रथम बार ज्ञात हुआ तथा यह अपील दिनांक 20.03.2018 के प्रस्तुत की दी इसलिए जानकारी से अपील अन्दर म्याद शुमार फरमावे। रेस्पोडेण्टगण बावजुद तामील अनुपस्थित रहने से एक तरफा बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट की ही सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया अपीलाण्ट को सर्वप्रथम जानकारी कृषि कार्य हेतु लोन की आवश्यकता होने पर राजस्व दस्तावेजो की नकलें बैंक में लेकर जाने पर बैंक अधिकारियों द्वारा बताने पर दिनांक 15.02.2018 को हुई, तब यह अपील नकलें प्राप्त कर दिनांक 20.03.2018 को पेश की गई। अपीलाण्ट कम पढ़ा लिखा होने व जानकारी का अभाव होने से नरम रूख रखते हुए अपील अपीलाण्ट जानकारी से अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थी का सही नाम आधार कार्ड, वाहन चालक अनुज्ञा पत्र, परिवार के साथ राशन कार्ड में व विद्यालय प्रगति पत्र में हरीराम पुत्र बंशीलाल अंकित है जबकि पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण भरते समय हरीश लिख दिया जो सही नही है, एवं नायब तहसीलदार द्वारा स्वीकृत भी कर दिया जो विधि सम्मत व सही नही होने से खारिज योग्य है। प0ह0 मण्डली खुर्द द्वारा अपनी मर्जी से नामान्तरकरण के पृष्ठ भाग पर वंश वृक्ष दर्ज कर अपीलाण्ट का नाम हरीराम के स्थान पर हरीश पुत्र स्व श्री बंशीलाल दर्ज कर दिया जो आधारहीन है इस से स्पष्ट है कि बंशीलाल के विधिक वारिसान को बिना नोटिस दिए, बिना सुने, बिना आधार के ही अपनी मर्जी से अपीलाण्ट का नाम हरीश अंकित किया गया जो विधि सम्मत नही होने से यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 1320 दिनांक 13.07.2009 जो नायब तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसे अपास्त किया जाता है तथा इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्व. बंशीलाल के सभी विधिक वारिसान की बाद जांच एवं नोटिस दिया जाकर सुनवाई कर उनके सही नाम का राजस्व रेकार्ड मे अंकन करते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया ।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली